(1)

27265
27261
26.8.14

4
13.00

नकल आदेश दि० 15.10.08
वाद सं० 5/08-09, अन्तर्गत धारा
143 ज० वि० सं० भूमि व्य० अधि०
जी० डी० आर० जी० मेमोरियल ट्रस्ट
बनाम उ० प्र० सरकार, ग्राम पर्वतपुर
परगना महोना, तहसील बी० के० टी०
जिला लखनऊ / न्यायालय उपजिलाधिकारी /
असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, बी० के० टी०
लखनऊ /

नकल आदेश की छायाप्रति नाप में संलग्न
फोलियो निरस्त किया जाता है।

27265
27261
26/01/17

(2)

न्यायालय उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, बी०के०टी० लखनऊ।

जी०सी०आर०जी०मेमोरियल ट्रस्ट बनाम उ०प्र०सरकार

वाद संख्या:- 5 /08-09

धारा:-143 ज०वि०एवं भूमि व्य०अधि०

ग्राम:- पर्वतपुर, परगना महोना।

निर्णय
========

प्रस्तुत वाद कार्यवाही प्रार्थी अभिषेक यादव चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी जी०सी०आर०जी०मेमोरियल ट्रस्ट के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रारम्भ कीगयी। जिस में कहा गया कि प्रार्थी गाटा संख्या 2 रकबा 0.924हे०स्थित ग्राम पर्वतपुर परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जिला लखनऊ का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दखील है। यह कि प्रार्थी के उपरोक्त गाटा संख्या में कई वर्षों से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी के उक्त रकबा में बैरीकेटिंग बनी हुई है तथा निर्माण भी है। प्रार्थी उक्त भूमि को आवास प्रयोजन हेतु आवासीय घोषित कराना चाहता है। यह कि उक्त भूमि पर कई वर्षों से काश्तकारी नहीं हो रही है। अतः प्रार्थना है कि उक्त गाटा संख्या को आवासीय प्रयोजन हेतु घोषित करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थनापत्र पर प्राविधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बख्शी का तालाब से आख्या प्राप्त कीगयी। जिस में कहा गया कि ग्राम पर्वतपुर परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब की गाटा संख्या 2 क्षेत्रफल 0.924हे0 भूमि अकृषिक है जो संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। प्रार्थी की गाटा संख्या 2 क्षेत्रफल 0.924हे0 भूमि में बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन नहीं किया जा रहा है। भूमि में चारों तरफ से खम्भा सहित दीवाल बनी है। प्रार्थी की भूमि आवासीय/व्यवसायिक जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत धारा 143 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजन हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित। इस प्रकार संस्तुति सहित आख्या इस न्यायालय को प्रेषित कीगयी।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार बख्शी का तालाब की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बख्शी का तालाब की आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि संख्या 2 रकबा 0.924हे0 पर कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी से भिन्न प्रयोजन में किया जा रहा है। ऐसी स्थित में उक्त प्रश्नगत भूमि को धारा 143 ज०वि०एवं भूमि व्यवस्था अधि० के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना उचित एवं विधि संगत है। परन्तु भू-उपयोगिता की विधि मान्यता के सम्बन्ध में लखनऊ महा योजना के उपबन्ध प्रभावी होंगे, जिस का सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र०से है।

आदेश
=========

अतः ग्राम पर्वतपुर परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जिला लखनऊ की भूमि संख्या 2 रकबा 0.924हे0 को मालगुजारी रुपया 15.50 से मुक्त करते हुए प्रार्थी अभिषेक यादव, चेयर मैन/मैनेजिंग ट्रस्टी, जी०सी०आर०जी०मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि का कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण धारा 143 ज०वि०एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत इस शर्त के साथ प्रख्यापित किया जाता है कि यदि भविष्य में कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुट

15/10/08

27265
27261
26/8/14

(3)

पालन,बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार बख्शी का तालाब को खतौनी में तद्नुसार प्रविष्टि करने हेतु प्रेषित हो तथा एक प्रति सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार को जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे निबन्धित कर इस आशय का अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक व मिसिलबन्द रजिस्टर संख्या अपने हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

§ पवन कुमार गंगवार §
उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
बख्शी का तालाब,लखनऊ।

निर्णय आज दिनांक 15-10-2008 को खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

§ पवन कुमार गंगवार §
उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
बख्शी का तालाब,लखनऊ।

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 26.8.14
फीस जमा करने की तिथि 26.8.14
प्रतिलिपि तैयार की तिथि 26/8/14
प्रतिलिपि शुल्क 13/-
जमा की संख्या ल अ अ अ 400 अ 02

प्रतिलिपि कर्ता
तुलना कर्ता
तिथि 26.8.14

प्रमाणित प्रतिलिपि
26/8/14
राजस्व अभिलेखपाल
कार्यालय जिलाधिकारी
लखनऊ

नकल आदेश दिनांक 27/9/2008 न्यायालय
श्रीमान परगनाधिकारी BKT लखनऊ
अन्तर्गत धारा 143 ZALR Act वादसंख्या
116/07-08 जीसी आर बी मैनेजमेंट ट्रस्ट
बनाम उ0प्र0 सरकार तारीख फैसला 27/9/2008
ग्राम फतेहपुर परगना महोना तहसील बीकेटी
जिला लखनऊ

26005
26001
12/10/14

कॉपियों प्रेषित किया जाता है
नकल की दरख्वास्त साथ में संलग्न है

न्यायालय उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, बी०के०टी० लखनऊ।

जी०सी०आर०जी०मेमोरियल ट्रस्ट

बनाम

उ०प्र०सरकार

वाद संख्या:-116/07-08

धारा:-143ज०वि०एवं भूमि व्य०अधि०

ग्राम:- पर्वतपुर, परगना महोना।

निर्णय
======

प्रस्तुत वाद कार्यवाही प्रार्थी अभिषेक यादव, चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी, जी०सी० आर०जी० मेमोरियल ट्रस्ट लखनऊ के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रारम्भ कीगयी। जिस में कहा गया कि प्रार्थी गाटा संख्या 6 रकबा 0.991हे० का 3/4 भाग रकबा 0.7432 हे० व गाटा संख्या 1 रकबा 0.521हे० व गाटा संख्या 7 रकबा 0.404हे० कुल रकबा 1.6682 हे०स्थित ग्राम पर्वतपुर परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जिला लखनऊ का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दखील है। यह कि प्रार्थी/ट्रस्ट ने उक्त भूमि को जरिए पंजीकृत बैनामा क्रय किया था। यह कि प्रार्थी की उपरोक्त गाटा संख्या में कई वर्षों से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी के उक्त रकबा में बैरीकेटिंग बनी हुई है तथा निर्माण भी है। प्रार्थी उक्त भूमि को आवास प्रयोजन हेतु आवासीय घोषित कराना चाहता है। यह कि उक्त भूमि पर कई वर्षों से काश्तकारी नहीं हो रही है। अतःप्रार्थना है कि उक्त गाटा संख्या को आवासीय प्रयोजन हेतु घोषित करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थनापत्र पर प्राविधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बख्शी का तालाब से आख्या प्राप्त कीगयी। जिसमें कहा गया कि प्रश्नगत भूमि ग्राम पर्वतपुर परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जिला लखनऊ की खतौनी सन् फसली - 1410-1415 में खाता संख्या 4 गाटा संख्या 1/0.521हे०, खाता संख्या 103गाटा संख्या 6/0.991हे० का 3/4 भाग अर्थात 0.743हे० तथा खाता संख्या 7 गाटा सं०-7/0.404हे० कुल तीन किता कुल रकबा 1.668हे० पर जी०सी०आर०जी० मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अभिषेक यादव चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी नि01/56 विरामखण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 45 संलग्न है जिस का परीक्षण किया गया। प्रश्नगत भूमि विवादित प्रतीत नहीं होती है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य तथा कृषि सम्बन्धी कार्य जैसे बागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन तथा मत्स्यपालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि पर जी०सी०आर०जी०मेमोरियल ट्रस्ट के अन्तर्गत इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी का भवन बनना प्रस्तावित है जिस का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रश्नगत भूमि आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजन के योग्य है। धारा 143ज०वि०एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 135(1)से6तक(का परीक्षण कर लिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित इंजीनियरिंग कालेज के भवन का ले-आउट प्लान तथा भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है। पत्रावली पर उपलब्ध अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत लखनऊ के पत्र दिनांक 23-8-08 की छाया प्रति के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित इंजीनियरिंग कालेज के भवन का नक्शा जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। अतः भूमि गाटा संख्या 1/0.521हे0, 6/0.991हे0

का 3/4 भाग अर्थात 0.743हे0 तथा गाटा संख्या 7/0.404हे0कुल रकबा 1.668हे0 स्थित ग्राम पर्वतपुर परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जिला लखनऊ को धारा 143 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक उद्घोषित करने की संस्तुति कीजाती है। इस प्रकार संस्तुति सहित आख्या इस न्यायालय को प्रस्तुत कीगयी।

उक्त के अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है जिस पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि उक्त भूमि का प्रयोग जी0सी0आर0जी0मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेज के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। यह कि उपरोक्त भूमि का उपयोग शैक्षिक संस्थान हेतु शैक्षिक,व्यवसायिक व आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इस प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में इस का उपयोग नहीं किया जायेगा।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार बख्शी का तालाब की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बख्शी का तालाब की आख्या से स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर कृषि,मत्स्यपालन,कुक्कुटपालन,बागवानी कार्य नहीं किया जारहा है,बल्कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग कृषि,मत्स्यपालन,कुक्कुटपालन,बागवानी कार्य से भिन्न प्रयोजन में किया जा रहा है। जिस के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त भूमि का उपयोग शैक्षिक,व्यवसायिक व आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में नहीं किया जायेगा। प्रार्थी द्वारा इंजीनियरिंग कालेज के भवन का ले-आउटप्लान की प्रति भी दाखिल कीगयी है। ऐसी स्थित में उक्त प्रश्नगत भूमि को धारा 143ज0वि0एवं भूमि व्य0 अधि0 के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना उचित एवं विधि संगत है। परन्तु भू उपयोगिता की विधि मान्यता के सम्बन्ध में लखनऊ महा योजना के उपबन्ध प्रभावी होंगे जिस का सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश से है।

आदेश

अतःग्राम पर्वतपुर परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जिला लखनऊ की भूमि संख्या 6 रकबा0.991हे0 में से रकबा 0.743हे0,भूमि संख्या 1 - रकबा 0.521हे0,भूमि संख्या 7 रकबा 0.404हे0 कुल 3 किता रकबा 1.668हे0 को मालगुजारी रुपया 64.00 से मुक्त करते हुए प्रार्थी अभिषेक यादव चेयरमैन/ मैनेजिंग ट्रस्टी जी0सी0आर0जी0मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि का कृषि, मत्स्य - पालन कुक्कुट पालन,बागवानी से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण धारा 143ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत इस शर्त के साथ प्रख्यापित किया जाता है कि यदि भविष्य में कृषि,मत्स्यपालन,कुक्कुटपालन,बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा - 144 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार बख्शी का तालाब को खतौनी में तद्नुसार प्रविष्टि करने हेतु प्रेषित हो तथा एक प्रति सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार को जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित

26005
2500
27/9/08

कि इसे निबन्धित कर इस आशय का अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक मिसिलबन्द रजिस्टर संख्या अपने हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकित करें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/9/08

§ पवन कुमार गंगवार §
उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
बख्शी का तालाब,लखनऊ।

निर्णय आज दिनांक 27-9-2008 को खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

27/9/08

§ पवन कुमार गंगवार §
उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
बख्शी का तालाब,लखनऊ।

26005
2500
12/8/14

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 12/8/14
प्रार्थना पत्र ... की तिथि ... 13/8/14
... 13/8/14
... 12/
शब्दों की संख्या 3002

प्रतिलिपि कर्ता ....
तुलना कर्ता ....
तिथि 13/8/14

प्रमाणित प्रतिलिपि
...
लखनऊ